

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Q. 1387-A/2016

प्र०क्र०

- दोस्रा पत्र २-५-१६ की*
गे चारों तरफ सुनिए
कालोनी ग्वालियर
1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामप्रसाद गुप्ता
 2. श्रीमती शशि गुप्ता पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
 निवासीगण ए-१७, जवाहर कालोनी ग्वालियर
 बनाम्

1. देवी सिंह पुत्र श्री खलक सिंह जाति गुर्जर
 निवासीगण केदारपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-50 मोप्र० भू. राजस्व संहिता :-

माननीय न्यायालय के

50 समक्ष यह रिविजन आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 04/2011-12/अपील मे पारित आदेश दिनांक 24.02.2016 से दुखित होकर प्रस्तुत है। आवेदन के संबंध मे तथ्य निम्नानुसार है।

1/ यहकि, ग्राम केदारपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर स्थिति भूमि सर्व क्र० 378/2/1ए388/1 रकवा कमशः 0.314 हेक्टर, 0.157 हेक्टर को रिविजन कर्ता द्वारा विक्य पत्र दिनांक 25.03.2011 से क्य किया गया है यह भूमि के विक्रेता कल्याण सिंह, महेन्द्र सिंह, जसवंत सिंह, निरंजन सिंह, काशीबाई पुत्र लोटन सिंह है।

2/ यहकि, आवेदकगण द्वारा भूमि विक्य दिनांक 25.03.2011 से प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य रिविजनकर्ता को सौंप दिया गया है इसका विवरण विक्य पत्र दिनांक 25.03.2011 के पृष्ठ कमांक-5 मे है।

3/ यहकि, आवेदक (रिविजनकर्ता) के द्वारा भूमि क्य दिनांक से ही वैधानिक रूप से भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया है।

4/ यहकि, आवेदकगण द्वारा चूंकि स्वयं भूमि विक्य की है अतः प्रश्नाधीन भूमि के स्वामित्व एवं अंतरण तथा कब्जा सौपे जाने की जानकारी उन्हें भली भौति है आवेदकगण द्वारा रिविजनकर्ता को परेशान करने की नीयत से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसी रोड मे अपील प्रस्तुत की गई जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।

5/ यहकि, द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध मे जब कि नामातंरण पंजी मे विधिवत ईश्तहार जारी कर नामातंरण आवेदक (रिविजनकर्ता) के पक्ष मे किया गया तब समय बाहय अपील को सुनवाई मे लिया जाकर उसके नामातंरण को निरस्त किया जाना विधि संगत नहीं है।

O/A

Debendra Singh
 21/5/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1387—पीबीआर / 16 राजेन्द्र/ट्रिविहार
स्थान तथा दिनांक कार्यवाही तथा आदेश

जिला ग्वालियर

प्रबंधकारी एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

| | |
|-----------|---|
| 11-5-2016 | <p>अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम प्रकृति का आदेश होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। अनावेदक के विद्वान अभिभाषक की आपत्ति विधि संगत होने से स्वीकार की जाती है, क्योंकि प्रश्नाधीन आदेश अपीलीय आदेश होने से संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रतिबंधित होकर ग्राह्य योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।</p> |
|-----------|---|


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष